



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 जनवरी, 2026

माघ 2, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 67/23-2-2026-20(सा0)-25

लखनऊ, 22 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ0-14

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है, कि जिला मीरजापुर में गंगा नदी के कम्पनीघाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथादर्शित अपनी सीमाओं के भीतर जिला मीरजापुर में कम्पनीघाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करते हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला मीरजापुर में कम्पनीघाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, मीरजापुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर के परगना के नाम	नदी के दोनों ओर के ग्रामों के नाम	नदी का नाम जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम	नौघाट की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
मीरजापुर	कतित	पिपराडाड, जमुनहिया, बिसुन्दरपुर, मेवली, खुटहा, गगाउत, सिउरा, लखौली, अखनपुरा, सेमरा बैसुखिया, कोल्हुआ गहिया, कमासीन, पुरजागीर, डिगुरपट्टी, देवपरवा	गंगा नदी	कम्पनीघाट	“ग”

नौघाट की सीमा				
किनारा	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
7	8	9	10	11
बायाँ दायाँ	कम्पनी घाट कोल्हुआ	0.500 किमी० 1.200 किमी०	नेवढिया घाट गेगराव	5.000 किमी० 3.000 किमी०

आज्ञा से,
दिव्य प्रकाश गिरी,
सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 67/XXIII-2-2026-20(SA.)-25, dated January 22, 2026 for general information :

No. 67/XXIII-2-2026-20(SA.)-25

Dated Lucknow, January 22, 2026

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Ganga river at Company Ghat in district Mirzapur;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of Section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Company Ghat in district Mirzapur within its limits as shown in the Schedule below.

Under Section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Company Ghat in district Mirzapur shall vest in the Superintending Engineer, Mirzapur Circle, Lok Nirman Vibhag, Mirzapur.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of Villages on both sides of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry	Category of Ferry
1	2	3	4	5	6
Mirzapur	Kantit	Pipradad, Jamunhiya, Bisundarpur, Mewali, Khutaha, Gangaut, Siura, Lakhauli, Akhanpura, Semra Baisukhiya, Kolhua Gahiya, Kamasin, Purjagir, Digurpatti, Devparva	Ganga River	Company Ghat	"C"

Ferry Limit				
Edge	Up stream	Distance	Down stream	Distance
7	8	9	10	11
Left Right	Company Ghat Kolhua	0.500 km. 1.200 km.	Nevadhiya Ghat Gegrao	5.000 km. 3.000 km.

By order,
DIVYA PRAKASH GIRI,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 354 राजपत्र-2026-(1052)-599+50+10=659 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।